न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/344

1. बनवारी पुत्र लादू जाति मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी
2. कमला पुत्री लादू जाति मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा हाल पत्नी अम्बालाल जाति मीणा निवासी राजकोट तहसील देवली जिला टोंक
3. फोरी पुत्री लादू जाति मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा हाल पत्नी गोपाल जाति मीणा निवासी राजकोट तहसील देवली जिला टोंक
4. रमेशी पुत्री लादू जाति मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा हाल पत्नी हंसराज जाति मीणा निवासी गेण्डोली की झोंपडियां तहसील व जिला बून्दी
5. राजबाई उर्फ राजाबाई पुत्री लादू जाति मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा हाल पत्नी राकेश जाति मीणा निवासी राजकोट तहसील देवली जिला टोंक
6. रामचन्द्री पत्नी लादू जाति मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी
7. समया बाई पुत्री लादू जाति मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा हाल पत्नी हंसराज जाति मीणा निवासी ईसरदा तहसील के0पाटन जिला बून्दी

–अपीलांटगण

बनाम

1. कैलाशी पुत्री लोडक्या जाति मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा हाल पत्नी कृष्णगोपाल जाति मीणा निवासी रसूलपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
2. गुलाब पत्नी स्व. माधो जाति मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी
3. चड्डीबाई पुत्री लोडक्या जाति मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा हाल पत्नी हीरालाल जाति मीणा निवासी खोड़ी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
4. प्रभुलाल पुत्र माधो जाति मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी
5. प्रहलाद पुत्र माधो जाति मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी
6. मोतीशंकर पुत्र ओंकार जाति मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी
7. मोरपाली पुत्री लोडक्या जाति मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा हाल पत्नी सोभाग निवासी खोडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
8. राकेश कुमार पुत्र लोडक्या जाति मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी

9. राजन्ता पुत्री लोडक्या जाति मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा हाल पत्नी रामरतन जाति मीणा निवासी गोबल्या ग्राम पोस्ट बालापुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी
10. शंकर पुत्र माधो जाति मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी
11. बैंक ऑफ बडौदा शाखा नैनवां जिला बून्दी जर्ये शाखा प्रबंधक
12. भूमिधारी राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान

——रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहसः— 1.श्री महेश शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2.श्री हेमेन्द्र सिह आसावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3 लगा. 10 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 25.02.2026**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 134/2022(2022/252) में पारित निर्णय दिनांक 27.08.2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम हरिपुरा पटवार मण्डल भजनेरी तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान की जमाबन्दी सम्बत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 21 पुराना 21 के अनुसार खसरा संख्या 1581 रकबा 0.3883 हेक्टेयर, खसरा संख्या 1583 रकबा 0.4207 हेक्टेयर, खसरा संख्या 1587 रकबा 0.0566 हेक्टेयर, खसरा संख्या 1589 रकबा 0.6391 हेक्टेयर, खसरा संख्या 1590 रकबा 1.2863 हेक्टेयर खसरा संख्या 2866/1587 रकबा 0.5420 हेक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 3.3330 हेक्टेयर भूमि स्थित है। उपर्युक्त वर्णित वादग्रस्त आराजीयात जो कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर प्रार्थीगण पुश्तैनी रूप से काबिज रहकर लगातार काश्त करते चले आ रहे है । ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार मण्डल डोडी तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या नया 1 पुराना 1 के अनुसार खसरा संख्या 61 रकबा 2.888 हेक्टेयर सिवायचक भूमि स्थित है। ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार मण्डल डोडी तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 53 पुराना 51 के अनुसार खसरा संख्या 57 रकबा 0.4773 हेक्टेयर भूमि स्थित है । उक्त भूमि

3. अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य कब्जे काश्त की भूमि है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में जाने का एक मात्र रास्ता प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 व 3 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 61 व खसरा संख्या 57 में होता हुआ प्रार्थीगण के खाते की भूमि में पहुंचता है। प्रार्थीगण के खाते की भूमि में जाने के उक्त रास्ते को नक्शा परिशिष्ठ "अ" में लाल स्याही से अ, ब स्थान के रूप में दर्शाया गया है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की भूमि पर पहुंचने का नहीं है। मौके का नजरी नक्शा साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में जाने वाले उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में करवाने हेतु प्रार्थी ने कहीं बार प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को दिये लेकिन आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई गत 15 दिन पहले प्रार्थीगण ने अप्रार्थी से नियमानुसार राशि जमा कर रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में करने का निवेदन किया तो अप्रार्थी ने प्रार्थीगण की भूमि पर जाने के रास्ते के अंकन से साफ इंकार कर दिया । प्रार्थीगण का खसरा संख्या 61 व खसरा संख्या 57 में होकर 25 फीट चौड़ा तथा उत्तर दक्षिण सम्पूर्ण लम्बाई में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की भूमियों तक पहुंचने का रास्ता ही एक मात्र रास्ता है जिसका राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन होना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है। जिसके लिये प्रार्थीगण भूमि के खातेदारान अप्रार्थी भूमिधारी राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब, नैनवां के माध्यम से राजकोष में न्यायालय श्रीमान के आदेशानुसार कीमत अदा करने को तैयार है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 व 3 में वर्णित भूमियों में होकर 25 फीट चौड़ा तथा उत्तर से दक्षिण सम्पूर्ण लम्बाई में नक्शा परिशिष्ठ "अ" में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित अपने खातेदारी अधिकार की भूमि में पहुंचने के एक मात्र रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड नक्शे में करवाये। उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपार एवं अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति नकद के रूप में कदापि संभव नहीं होगी तथा प्रार्थी को अपने खाते की भूमि पर पहुंचने से वंचित होना पड़ेगा । वादग्रस्त भूमि ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील नैनवां में स्थित होने से तथा वाद धारा 251 (ए) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अधीन होने के कारण वाद श्रवण का न्यायालय श्रीमान का क्षेत्र संबंधी क्षेत्राधिकार एवं श्रवण संबंधी श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद निर्धारित न्याय शुल्क 2/– रूपये उचित तलबाने के साथ प्रस्तुत है । अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थी के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री प्रदान की जावे (1) कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 व 3 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 61 व खसरा संख्या 57 में होकर 25 फीट चौड़ा उत्तर से दक्षिण सम्पूर्ण लम्बाई में नक्शा परिशिष्ठ "अ" में लाल स्याही से अ, ब मार्क से दर्शाये अनुसार प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की भूमि में पहुंचने के एक मात्र रास्ते का अंकन राजस्व

रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में कीमतन दर्ज किया जावे (2). यह कि अन्य न्यायोचित सहायता प्रार्थी को प्रदान की जावे,

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.08.2025 के द्वारा प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 10 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.08.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.08.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.08.2025 निरस्त किया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हुक्म जेर अपील कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय/आदेश न्याय, कानून एवं तथ्यो के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थीगण अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट स्वीकार करना चाहिये था ऐसा नही करके अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण के प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर निर्णय नहीं किया है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांटगण ग्राम हरिपुरा पटवार मंडल भजनेरी तहसील नैनवां (जिला बून्दी, राज.) खसरा नं–1581 खसरा नं–1583, खसरा नं–1587 खसरा नं–1589, खसरा नं–1590 खसरा नं–2866/1587 कुल 6 किता कुल रकबा 3.3330 हैक्टर भूमि संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि पर पुश्तैनी रूप से काश्त करते चले आ रहे है। खसरा नं–61 की भूमि सिवायचक है, खसरा नं–57 की भूमि रेस्पोडेंटगण की संयुक्त खातेदारी की है। अपीलांटगण अपनी भूमि पर खसरा नं–61 व खसरा नं–57 में होते हुये पहुंचते है, जो नक्शा परिशिष्ठ

अ में लाल स्याही से 'अ' व 'ब' स्थान के रूप में दर्शाया गया है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता अपीलांट्स की खातेदारी की भूमि पर पहुंचने का नहीं है। इस हेतु अपी. की ओर से नजरी नक्शा भी पेश किया गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यो व दस्तावेजात पर गौर ही नहीं किया जिससे अपीलांट के हितो पर भारी कुठारा घात हुआ है। अधीनस्थ न्ययालय को तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट दिनांक 12.02.2024 के आधार पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करके अपीलांट के पक्ष में तदनुसार खसरा नं–57 व खसरा नं–61 में से रास्ता देने का आदेश प्रदान करना चाहिये था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र खारिज करके भयंकर त्रुटि की है जिससे अपी० को भविष्य में भारी क्षति होगी जिसकी पूर्ति होना किसी भी प्रकार से संभव नही होगा। अपी० अपनी काश्त की भूमि पर खेती करने से सदैव के लिये वंचित हो जावेगे जिससे अपी० व परिवारजन की भूखो मरने की स्थिति उत्पन्न हो जावेगी। अपीलांट तहसीलदार सा० की रिपोर्ट के अनुसार रास्ते के लिये दिये जानी वाली भूमि की कीमत भी अदा करने के लिये तैयार है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिससे अपीलांटगण को भारी क्षति का सामना करना पड रहा है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी नैनवां) का निर्णय दिनांक 27.08.2025 निरस्त किए जाने तथा प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण अपीलांटगण की भूमि मे रास्ता दिलाये जाने के आदेश प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3 लगायत 10 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा जो रास्ता रेस्पोडेन्टगण की भूमि में कायम किए जाने का अनुतोष चाहा गया है, उक्त रास्ता मोके पर विद्यमान नहीं है। अपीलांटगण के खाते की भूमि में आने जाने हेतु पूर्व से ही रास्ता मोके पर विद्यमान है। अपीलांटगण के खाते की खसरा संख्या 1583 के लगवां पूरब दिशा की ओर स्थित सिवायचक खसरा नम्बर 2865/1584 की भूमि पर अपीलांटगण का ही कब्जा है। अपीलांटगण के खाते की भूमि के लगवां पूरब की ओर नहर स्थित है जिसके सहारे–सहारे 30 फीट चौड़ा ग्रेवल वाला रास्ता पहले से ही बना हुआ है जिसका उपयोग अपीलांटगण स्वयं के खाते की भूमि में आने जाने हेतु करते चले आ रहे है। अपीलांटगण के खाते की भूमि में आने जाने हेतु पहले से ही मोके पर रास्ता विद्यमान है। अपीलांटगण द्वारा जिस खसरा सख्या 57 की भूमि में से रास्ता चाहा गया है, उक्त खसरा संख्या 57 की भूमि के सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय में वाद विचाराधीन है जिसमें खसरा सख्या 57 की भूमि पर स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। अतः स्थगन आदेश के प्रभावी रहते हुए अपीलांटगण प्रश्नगत खसरा संख्या 57 की भूमि में किसी प्रकार का रास्ता

कायम करवाने के अधिकारी नहीं हैं। अतः अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अपील खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.08.2025 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.08.2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

9. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रालवी के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण अपीलांटगण द्वारा स्वयं के खाते की खसरा नम्बर 1581, 1583, 1587, 1589, 1590, 2866/1587 कुल किता 6 रकबा 3.3330 हैक्टेयर भूमि में आने जाने हेतु रास्ता कायम किए जाने का अनुतोष चाहा है। अपीलांटगण का कथन है कि वे स्वयं के खाते की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील नैनवां की खसरा संख्या 61 सिवायचक भूमि एवं अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण के खाते की खसरा संख्या 57 रकबा 0.4773 हैक्टेयर भूमि में विद्यमान है। अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण का कथन है कि उनके खाते की खसरा संख्या 57 में कोई रास्ता विद्यमान नहीं है तथा अपीलांटगण की भूमि में आने जाने हेतु पूरब की ओर स्थित नहर के सहारे–सहारे बने हुए रास्ते से होकर सिवायचक खसरा नम्बर 2865/1584 में पश्चिम से पूरब के रास्ते से होकर अपने खाते की भूमि में आता जाता है अतः अपीलांटगण के खाते की भूमि में आने जाने हेतु पहले से ही वैकल्पिक रास्ता विद्यमान होने के कारण नवीन रास्ता कायम किया जाना कानूनन उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित रास्ते की मौका रिपोर्ट तलब की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित रास्ते की मौका रिपोर्ट तलब की गई है जो दिनांक 09.02.2023 एवं दिनांक 10.07.2025 को तैयार की गई है। दिनांक 09.02.2023 को तैयार की गई रिपोर्ट में प्रार्थीगण अपीलांटगण के खाते की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 57 व 61 में विद्यमान होने का अंकन है तथा इसके अलावा कोई लघुतम एवं वैकल्पिक रास्ता विद्यमान नहीं होने का अंकन है। अतः मोका रिपोर्ट दिनांक 09.02.2023 के अनुसार प्रार्थीगण अपीलांगण के खाते की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील नैनवा की खसरा नम्बर 57 व खसरा नम्बर 61 में विद्यमान होना प्रकट होता है। दिनांक 10.07.2025 को तैयार की गई मौका रिपोर्ट में भी प्रार्थीगण अपीलांटगण द्वारा अपने खाते की भूमि में आने जाने हेतु ग्राम लक्ष्मीपुरा की भूमि से होकर जाने वाले रास्ते का उपयोग किए जाने तथा उक्त रास्ते को अप्रार्थीगण द्वारा बन्द

किए जाने का अंकन है। अतः दिनांक 10.07.2025 की रिपोर्ट के अवलोकन से अपीलांटगण द्वारा स्वयं के खाते की भूमि में आने जाने हेतु ग्राम लक्ष्मीपुरा की खसरा संख्या 57 व खसरा संख्या 61 की भूमि में विद्यमान होना प्रकट होता है तथा रिपोर्ट दिनांक 09.02.2023 से उक्त रास्ते के लघुतम होने तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं होना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह तर्क देते हुए अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किया है कि अपीलांटगण द्वारा जिस खसरा संख्या 57 की भूमि में से रास्ता चाहा गया है, उक्त खसरा संख्या 57 की भूमि पर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 115/प्रार्थना–पत्र/2022 द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस प्रकरण संख्या 115/2022 में स्थगन आदेश पारित किया गया है, उक्त प्रकरण संख्या 115/प्रार्थना–पत्र/2022 अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.06.2022 को सस्थित करते हुए प्रश्नगत खसरा संख्या 57 के मोके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है हस्तगत निर्णय दिनांक 27.08.2025 को पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण संख्या 115/प्रार्थना–पत्र/2022 का निस्तारण हस्तगत निर्णय की दिनांक 27.08.2025 तक नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण को लम्बित होने तथा स्थगन आदेश प्रभावी होने मात्र से अपीलांटगण को उनकी भूमि में आने जाने बाबत रास्ते के सुखाधिकार से वंचित किया जाना न्यायोचित नहीं है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय को अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण संख्या 115/प्रार्थना–पत्र/2022 का अंतिम रूप से निस्तारण करने के पश्चात हस्तगत प्रकरण का निर्णय पारित किया जाना आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 115/प्रार्थना–पत्र/2022 में प्रश्नगत खसरा संख्या 57 की भूमि के सम्बंध में अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्रभावी होने मात्र के आधार पर प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण संख्या 115/प्रार्थना–पत्र/2022 का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाकर उभयपक्षकारान को सुनकर हस्तगत प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या

134/2022(gcms no. 2022/252) में पारित निर्णय 27.08.2025 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है वह अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण संख्या 115/प्रार्थना–पत्र/2022 का 30 दिवस के भीतर अंतिम रूप से निस्तारण करें तत्पश्चात हस्तगत प्रकरण में अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम, 1955 के नियम 68 से 70 की पालना करते हुए नवीन निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.03.2026 को स्वयं उपस्थित रहे।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा